Reg. No- 2781/14 T .R.- 1201/19

02. 09. 2019 आत्म समर्पित अभियुक्त 1. अब्दुल रज्जाक की ओर से नवीन अधिकार पत्र एवं उपस्थिति पत्र के साथ जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

वाद पुकारा गया, पुकार पर आत्म समर्पित अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थिति हुए। जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित करते हुए इनका कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी की ओर से इस जमानत आवेदन पत्र के अलावा न तो विद्वान सत्र न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायलय में दाखिल किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा 167, 417, 418, 420, 467, 465, 468, 469, 471, 477, के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें भा0 दं0 वि0 की धारा 420, 467, 468 एवं 477 अजमानतीय प्रकृति के है। अभियुक्त पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्राप्त कर जमानत पर थे । संज्ञान के बाद इनकी ये प्रथम उपस्थिति है। प्रार्थी अपने सक्षम जमानदारो द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षो को सुना अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा 167, 417, 418, 420, 467, 465, 468, 469, 471, 477, के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें भा0 दं0 वि0 की धारा 420, 467, 468 एवं 477 अजमानतीय प्रकृति के है। अभियुक्त पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्राप्त कर जमानत पर थे। संज्ञान के बाद इनकी ये प्रथम उपस्थिति है। प्रार्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि आरोप गठन तक प्रत्येक तिथियो पर सदेह उपस्थित रहेंगे। अतएव इनके सक्षम जमानतदारो द्वारा 5000 ×2 के समान धन राशि के दो प्रतिभूओ द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
न्या0 दण्डा0 पुपरी

02. 09. 2019 उपरोक्त आदेशानुसार आत्म समर्पित अभियुक्तगण के जमानतदारो द्वारा सत्यापित बंधपत्र दाखिल किया गया। जिसे सही वो संतोषप्रद पाकर स्वीकृत किया जाता है। दिनांक 09.09.19 प्रतिलिपि हेतु।

लेखापित
न्या0 दण्डा0 पुपरी